राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2693/2015

जय सिंह पुत्र श्री पन्ना राम जी, आयु 53 वर्ष, निवासी ग्राम मीठी रेडू, पोस्ट पहाड़सर, तहसील राजगढ़, जिला चूरू।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), चूरू।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री आर.एस. सलूजा।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>16/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 07.05.2012 (अनुलग्नक 5) के आदेश

से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाएं 03.07.2006 से इस आधार पर समाप्त कर दी गई थीं कि उसे धारा 304(1) और 149 आईपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, वह सेवा में बहाली और सेवा की निरंतरता के उद्देश्य से उसकी बीच की अवधि की गणना करने की मांग करता है।

2. याचिका में दलील दी गई है कि सबसे पहले संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 16.08.1984 (अनुलग्नक 1) के आदेश के अनुसार जिला चूरू में शिक्षक ग्रेड III के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2003 में, भूमि की खेती के संबंध में गांव में हुई एक घटना के लिए दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता पर धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया गया और 03.07.2006 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया।

2.1 ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अपील दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 18.05.2009 के निर्णय (अनुलग्नक 2) के तहत याचिकाकर्ता को धारा 302/149 आईपीसी के बजाय धारा 149 आईपीसी के साथ धारा 304(1) के तहत दोषी ठहराया। बीच की अवधि के दौरान, दिनांक 05.01.2004 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक 3) के तहत याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। हालांकि, उसे लगातार निर्वाह भत्ता दिया जाता रहा।

2.2 इसके बाद, दिनांक 07.05.2012 के आदेश (अनुलग्नक 5) के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक 6) प्रस्तुत किया, लेकिन अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में लिया गया बचाव यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोप नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं, जिसके लिए बर्खास्तगी का आदेश दिया जाना चाहिए। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को गंभीर अपराध का दोषी पाया गया है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 7.5.2012 को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है और इसे इस न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

5. सेवा में बहाली के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना उचित है कि सेवा समाप्ति उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 189/2003 के तहत पहले से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है और इसलिए, इसके परिणाम को ध्यान में रखना आवश्यक है।

6. इस मामले के लिए प्रासंगिक प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम 19 है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "19. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया.-नियम 16, 17 और 18 में किसी बात के होते हुए भी,
> (i) जहां किसी सरकारी कर्मचारी पर उसके आचरण के आधार पर कोई शास्ति लगाई जाती है जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप में दोषसिद्ध किया गया है; या
> (ii) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज

किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि उक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या

(iii) जहां राज्यपाल संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया का पालन करना समीचीन नहीं है, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

बशर्ते कि ऐसे किसी मामले में जिसमें ऐसा परामर्श आवश्यक हो, ऐसे आदेश पारित करने से पहले आयोग से परामर्श किया जाएगा।"

उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के कारण सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। दोषसिद्धि के कारण सेवा से बर्खास्त करने का ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 10 के साथ नियम 12 के प्रावधानों के तहत कारण दर्ज करना आवश्यक है। नियम 10 में ऐसे व्यक्ति की नई नियुक्ति पर विचार करने का प्रावधान है, जिसे दोषसिद्धि मिली हो। वर्तमान मामला ऐसा है, जहां याचिकाकर्ता पहले से ही सेवा में था और निलंबन से पहले 19 वर्ष से अधिक समय तक सेवा कर चुका था और समाप्ति के आदेश तक 27 वर्ष से अधिक समय तक सेवा कर चुका था।

7. इस न्यायालय ने महावीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2591/2002, 22.01.2013 को भारत संघ एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए निर्णय दिया। बनाम तुलसी राम पटेल : एआईआर 1985 एससी 1416 ने माना कि

किसी आपराधिक मामले में किसी कर्मचारी के दोषी ठहराए जाने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को बर्खास्तगी/हटाने या बहाली का आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में निम्नांकित टिप्पणी की:-

> "127. अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान के खंड (ए) के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी को पता चलता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है, तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उसका आचरण जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया है, ऐसा था जिसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है, तो वह दंड क्या होना चाहिए। इसके लिए उसे आपराधिक न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करना होगा और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों और चलप्पन के मामले (एआईआर 1975 एससी 2216) में बताए गए विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा। हालाँकि, यह उसे एकपक्षीय और स्वयं ही करना होगा। एक बार जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि सरकारी कर्मचारी का आचरण ऐसा था जिसके लिए उसे सेवा से बर्खास्त या हटाया जाना चाहिए या रैंक में कमी की आवश्यकता है, तो उसे यह तय करना होगा कि इन तीन दंडों में से उसे कौन सा लगाया जाना चाहिए। यह भी उसे स्वयं ही करना होगा और दूसरे परंतुक के अपवर्जनात्मक प्रभाव के कारण संबंधित सरकारी कर्मचारी की सुनवाई किए बिना। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह ध्यान में

रखना चाहिए कि किसी आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि से संबंधित सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी स्वतः नहीं हो जाती। इन तीनों में से कौन-सा दंड लगाया जाना चाहिए, यह तय करने के बाद उसे अपेक्षित आदेश पारित करना होगा। कोई सरकारी कर्मचारी जो लगाए गए दंड से व्यथित है, वह अपील, पुनरीक्षण या समीक्षा में, जैसा भी मामला हो, यह तर्क दे सकता है कि दंड बहुत गंभीर या अत्यधिक था और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं था। यदि उसका मामला यह है कि वह वास्तव में दोषी ठहराया गया सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो वह इस प्रश्न को अपील, पुनरीक्षण या समीक्षा में भी उठा सकता है। यदि वह सभी विभागीय उपचारों में विफल रहता है और फिर भी मामले को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आह्वान कर सकता है, बशर्ते न्यायालय इसकी अनुमति दे। यदि न्यायालय पाता है कि वह वास्तव में दोषी व्यक्ति नहीं था, तो वह आरोपित आदेश को निरस्त कर देगा और उसे सेवा में पुनः बहाल करने का आदेश देगा। जहां न्यायालय पाता है कि आरोपित आदेश द्वारा लगाया गया दंड मनमाना या अत्यधिक है या किए गए अपराध के अनुपात से बाहर है या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों या उस विशेष सरकारी सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार उचित नहीं है, तो न्यायालय आरोपित आदेश को भी निरस्त कर देगा। इस प्रकार, शंकर दास बनाम भारत संघ और अन्य, [1985] 2 एस.सी.सी. 358 में, इस न्यायालय ने इस आधार पर दंड के

आरोपित आदेश को निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता पर लगाया गया सेवा से बर्खास्तगी का दंड मनमाना था और उसे पूर्ण बकाया वेतन के साथ सेवा में पुनः बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय हमेशा बहाली का आदेश दे। न्यायालय इसके बजाय ऐसा दंड दे सकता है जो उसकी राय में मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित होगा।

8. उपर्युक्त स्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या किसी विशेष आपराधिक आरोप के तहत दोषसिद्धि नैतिक अधमता के बराबर है जिसके लिए बर्खास्तगी/हटाने का आदेश दिया जाना चाहिए या क्या कम सजा पर्याप्त है। इस मामले में, दिनांक 07.05.2012 के आरोपित आदेश (अनुलग्नक 5) के अवलोकन से पता चलता है कि एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना सीधे याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी का आरोपित आदेश पारित कर दिया। संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी विशेष आपराधिक आरोप के तहत दोषसिद्धि नैतिक अधमता के बराबर है जिसके लिए याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी/हटाने का आदेश दिया जाना चाहिए और/या कम सजा पर्याप्त नहीं होगी।

9. परिणामस्वरूप, दिनांक 07.05.2012 (अनुलग्नक 5) के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने और विचार-विमर्श के बाद तथा स्थापित कानून की स्थिति के अनुसार एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। यह कार्य यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल

आदेश के वेब-प्रिंट के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के तीन महीने से अधिक समय बाद नहीं।

10. रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

11. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।